

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक.....15/...../ ३८४

सं ० सं०-०५ / उ० नि० ब० (आवंटन) 25 / 2018

पटना, दिनांक.....25. 03. 2019

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :--

मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, मांग सं०-२३, उपशीर्ष-०१३५-इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना, विपत्र कोड २३-२८५२८०१०२०१३५, विषय शीर्ष ०१३५.३१.०६ सहायक अनुदान—गैर वेतन मद से वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर, (TRTC) पटना, बिहार राज्य के १९७ (एक सौ संतानवे) बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में ६०० घंटे का आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु रु० ९९,७६,०००.०० (निनान्चे लाख छिह्नतर हजार रूपये) की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल रु० ९९,७६,०००.०० (निनान्चे लाख छिह्नतर हजार रूपये)मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2. इस राशि का व्यय मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, मांग सं०-२३, उपशीर्ष-०१३५-इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना, विपत्र कोड २३-२८५२८०१०२०१३५, विषय शीर्ष ०१३५.३१.०६ सहायक अनुदान—गैर वेतन मद से किया जाएगा।
3. यह आवंटन वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक १५८६ दिनांक २५.०३.२०१९ के आलोक में दिया जा रहा है। इसके सभी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक २५६१ वि०(२) दिनांक १७ अप्रैल, १९९८ के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-(
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-१ के नियम ४७५ का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।
(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
(घ) २०१८-१९ का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन ३० मार्च २०१९ तक अवश्य भेज दें।

(च) मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, मांग सं0-23, उपशीर्ष-0135-इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना, विपत्र कोड 23-2852801020135, विषय शीर्ष 0135.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन मद से वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दूल रूम ट्रेनिंग सेंटर, (TRTC) पटना, बिहार राज्य के 197 (एक सौ संतानवें) बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में 600 घंटे का आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु रु0 99,76,000.00 (निनान्चे लाख छहत्तर हजार रुपये) मात्र के आवंटन के आलोक में उक्त स्वीकृत्यादेश/राज्यादेश में निहित निदेश के अनुरूप व्यय किया जाए।

विश्वासभाजन

१५
उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 151 / ३०८

पटना, दिनांक २५.०३.१९

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१५
उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 151 / ३०८

पटना, दिनांक २५.०३.१९

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, बी०एस०डी०एम०, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना/दूल रूम ट्रेनिंग सेंटर (TRTC) पटना/ए०सी०-डी०सी० य००सी० कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा-०५(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

१५
उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।